

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(प्रति सरकारी कार्यक्रम विभाग राजसभा)

उत्तर क्षेत्रीय रामिति



NCTE

राजशाही/लेस/क-३/धूपी-३४०/२०००/३२०६

भारत के राजपत्र भाग-३, खण्ड-४ में प्रकाशनार्थ

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STANDBY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

संस्थाएँ

दिनांक : २०. ०६. २०००

आदेश

विद्यावाची मुकुन्द लाल गहिला यामिति कार्यालय में दिनांक १७.१२.१९९८ को आवेदन किया था।

समिति कार्यालय द्वारा सन् 2000-2001 में अतिरिक्त सौर्यों की मान्यता का विचार हेतु संस्था का दिनांक २९ मार्च, १९९८ को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल भिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा डा.-समिति द्वारा अनुमोदित एजेन्डा नोट की प्रति उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक १२-१३ अप्रैल, २००० को सम्पन्न हुई २४ बी. बैठक में विनियम हेतु प्रस्तुत किया गया था। समिति ने प्रकल्प पर विचार कर यापा कि संस्था में परिषद्, मानदंडों के अनुसार कमीयाँ हैं अतः संस्था को विनांकित करियों की रूपना प्रेषित करने हुए उक्त कमियों के मंदर्भ में पारिषद्, अधिनियम १९९३ की घास १५ (३) (बी) के अन्तर्गत लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जाए।

क्रम.	पाई गई कमियाँ
(१) कार्यरत पाठ्यपत्रमें कमी	संस्था के पास गणित, विज्ञान आदि व वाहनोलीकान साइंस पढ़ाये के अध्यापक नहीं हैं। न्यायालयी विध्यानुसार नहीं हैं। न्यायालयी ऐसे हैं जो वे विषय पढ़ा रहे हैं जिनमें से पौनी नहीं है।
(२) अतिरिक्त पाठ्यपत्रमें लिए कमी	अतिरिक्त सौर्यों के लिए परिषद् के नामसंग एप्पल एटेंडर्स के पैरा २.१, २.२, २.३, व २.५ के अनुसार विवरित गोचरण व कियायों के अनुसार वियमानुसार रान्य सरकार/विश्वविद्यालय/यू.जी.सी. के निर्देशानुसार गाँठिंग चग्न विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक ४-९ जून, २००० को सम्पन्न हुई २० बी. बैठक में विनियम हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रकल्प पर विचार कर पाया कि संस्था के चौए पाठ्यपत्रमें अतिरिक्त सौर्यों की मान्यता को संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार पाई गई विनांकित कमियों के बाबत अन्वेषण करता जाए।

समिति के विनियमानुसार संस्था को दिनांक २६.४.२००० को नोटिस क्रमांक राजशाही/लेस/क-३/धूपी-३४०/२०००/६२८ जारी किया गया था। संस्था ने उपरोक्त नोटिस का उत्तर आपने पहले दिनांक २३.५.२००० एवं ३.६.२००० के द्वारा प्रेषित किया था। संस्था के लिखित अभ्यावेदन एवं संस्था की मूल भिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक ४-९ जून, २००० को सम्पन्न हुई २० बी. बैठक में विनियम हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रकल्प पर विचार कर पाया कि संस्था के चौए पाठ्यपत्रमें अतिरिक्त सौर्यों की मान्यता को संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार पाई गई विनांकित कमियों के बाबत अन्वेषण अन्वेषण करता जाए।

क्रम.	संस्था में पाई गई कमियाँ
१	संस्था में अतिरिक्त ४० सौर्यों के लिए गानदंडों के पैरा २.२ के अनुसार विनांकित योग्यता के द्वारा प्रवक्ताओं की कमी है।

- २ -

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त विषय के अनुसार विद्यावाही मुकाबले लाला महिता महाविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा
गान्धीजी प्राप्त बीएच पाठ्यबूक्स की अंतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में पाई गई उपरोक्त कामियों के कारण तुलना प्रभाव से
अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अधिकारण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएच पाठ्यबूक्स में मान्यता
प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अंतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तो संस्था
उन सालों की परीक्षा आयोगिता कर डनके बीएच पाठ्यबूक्स की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यात्मक शिक्षा परिषद् अधिनियम
1993 की घारा 17 (4) के अन्वर्गीय उन छात्रों को प्रदत्त बीएच की उपाधि केन्द्र सरकार योग्यी भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या
किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार
के लिए ऐश्वर्य दोषाता नहीं मानी जाएगी अदि संस्था चाहे भी उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यात्मक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993
की भारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के बारे होने की विधि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यात्मक शिक्षा परिषद्
मुख्यालय के समर्थ अपील कर सकती है। अपील के संदर्भ में दिर्गा-निर्देश अदेश के माध्य संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का
आगामी अनुबाद शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(डॉ एस.एन. मेहरी)

क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

सिविल लाइसेंस, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हैन् :

- 1) शिक्षा हायिन, उत्तर अदेश सरकार, भारत संचिवालय, लखनऊ।
- 2) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
- 3) कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय।
- 4) राज्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यात्मक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
- 5) प्रत्चार्य, विद्यावाही मुख्यालय लाला महिता महाविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
- 6) कम्यूटर फाइल (उद्देश)

क्षेत्रीय निदेशक